E Content for the Student of Patliputra University

Sub - Political science

Class - B.A (Hons) Part - II Paper III

Topic - Importance of Rajya Sabha

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Political Science
R.R.S. College, Mokama

भारतीय संविधान की धारा 79 के अनुसार भारतीय संसद के दो सदन हैं - राज्य सभा और लोकसभा. राज्य सभा उच्च किन्तु द्वितीय सदन है यह लोकप्रिय सदन नहीं है। इसका स्थान वही है जो ब्रिटेन में लार्ड सभा तथा अमेरीका में सीनेट का है। लोकसभा निम्न किन्तु प्रथम सदन है। यह लोकप्रिय सदन है तथा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। सारी विधायी शक्ति का स्रोत लोकसभा है। लोकसभा प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। लोकप्रिय सदन के रूप में लोकसभा जनता की भावना तथा जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है। इस कारण लोकसभा की महत्ता स्थापित है।

इसके विपरीत उच्च और द्वितीय सदन के नाम से जाने जाने वाली राज्यसभा शक्ति की दृष्टि से लोकसभा से कमजोर स्थिति में है। इसलिए कई लोगों के द्वारा यह विचार प्रकट किया जाता है कि राज्यसभा की कोई उपयोगिता नहीं है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मांटेस्क्यू ने संसद के सभी द्वितीय सदन की उपयोगिता पर प्रश्न उठाते हुए कहा था, " अगर द्वितीय सदन प्रथम सदन के अनुकूल

कार्य करता है तो व्यर्थ है और अगर द्वितीय सदन प्रथम सदन के मार्ग में अड़ंगा डालता है तो खतरा है, दोनों ही स्थिति में इसकी उपयोगिता नहीं है।"

भारतीय राज्य सभा की उपयोगिता के विरुद्ध निम्न लिखित तर्क दिये जाते हैं —

(1) संगठनात्मक त्रुटि — सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में गठित की जाती है। उससे उम्मीद की जाती है कि उसके द्वारा राज्यों के हितों की रक्षा होगी। संघात्मक व्यवस्था सुरक्षित होगी तथा राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व होगा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। जैसा कि अमेरिकी सीनेट के साथ है। सीनेट में प्रत्येक राज्य से दो सदस्य निर्वाचित होते हैं।

भारतीय राज्य सभा का संगठन का स्वरूप इस दृष्टि से दोषपूर्ण है। राज्य सभा न तो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है न राज्य की जनता का। राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। अधिक उम्मीदवार को जीत के लिए निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना होता है। इस कारण राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें उपकृत किया जाता है। ऐसे सदस्य न तो राज्य के हित के प्रति उत्तरदायी होते हैं न ही राज्य की जनता की। कई सदस्य व्यवहारिक रूप में राज्य के बाहर के निवासी होते हैं।

2. शक्तिहीन सदन -

राज्यसभा लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन सदन है। यह सामान्य विधेयकों के संदर्भ में वेटो करने की शक्ति रखती है। वित्त विधेयक के संदर्भ में विचार विमर्श करने के अतिरिक्त कोई शक्ति प्राप्त नहीं है संयुक्त अधिवेशन में संख्या कम होने के कारण निर्णय लोकसभा के पक्ष में होने की संभावना ज्यादा रहती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्यों की संख्या कम ही है।

3. सक्रिय राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व कम - राज्यसभा में सक्रिय राजनीतिज्ञों की संख्या कम रहती है। ज्यादा सदस्य चुनावों में हारे हुए या चुनाव जीतने की इच्छा नहीं रखने वाले होते हैं। कुछ पूंजीपतियों द्वारा पार्टी फंड में पैसा देने के आधार पर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कुछ सदस्यों की आयु अधिक होती है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों में कुछ तो सत्तारूढ़ दल के समर्थक होते हैं तो कुछ राजनीति से उदासीन। इस प्रकार राज्यसभा के लाभ जो उद्देश्य रखे गये थे, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है।

राज्यसभा की उपयोगिता के पक्ष में तर्क -

उपर्युक्त नकारात्मक पक्षों के बावजूद राज्यसभा के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, जो इसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं -

(1) विचार विमर्श का अवसर बढ़ना - राज्यसभा के चलते विचार विमर्श का ज्यादा अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र के लिए यह एक अच्छी बात है। इससे जनमत को समझने में सुविधा होती है।

2. लोकसभा के उतावलेपन पर रोक– लोक सभा में ज्यादो बातें सस्ती लोकप्रियता, लोक लुभावन, चुनावी राजनीति पर आधारित होते हैं। उसमें उतावलापन होता है। राज्य सभा दलीय हित से ऊपर उठकर राष्ट्र के भविष्य के लिए विचार विमर्श करती है। इसमें सदस्यों न्यूनतम उम्र 30 वर्ष तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों का प्रावधान इसी कारण किया गया है। चुनावी हार या चुनावी क्षमता नहीं रखने वाले उपयोगी लोग राज्य सभा के माध्यम से अपनी सेवा दे सकते हैं।

3. कई विधेयकों पर राज्यसभा की सहमति आवश्यक –
संविधान संशोधन, राष्ट्रपति शासन की घोषणा आदि की स्थिति में राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यसभा में बहुमत के अभाव में कई सरकारें अपनी इच्छित निर्णय पास नहीं कर सकीं। इस प्रकार राज्य सभा ने कभी कभी सरकारों को नियंत्रित करने में सफल रही है।

4. कई विषयों पर राज्यसभा का विशेष अधिकार– राज्यसूची के विषयों को समवर्ती सूची या संघ सूची में परिवर्तित करने या संघ लोकसेवा के लिए नई सेवाओं के गठन में राज्य सभा को विशेष शक्ति है।

5. राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में लोकसभा के वास्तविक शक्ति--
लोकसभा अकेले सत्तारूढ़ दल की बहुमत शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाकर पदमुक्त नहीं कर सकती है। राज्य सभा की आवश्यक सहमति महाभियोग की प्रक्रिया की जटिलता को मजबूत करता है।

6. स्थायी सदन होने का कारण – राज्य सभा स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष पर अवकाश लेते हैं उतने ही सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका स्थायी स्वरूप बना रहता है। जब कभी लोकसभा भंग होती है तो आवश्यकता पड़ने पर संसद का प्रतिनिधित्व राज्यसभा ही करती है। राष्ट्रपति आपात काल की घोषणा के समय अगर लोकसभा भंग हो तो राज्य सभा की स्वीकृति मान्य होती है। पुनः लोकसभा गठन के बाद अपनी स्वीकृति देती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य सभा का जन्म संविधान निर्माताओं ने काफी सोच समझ कर इसकी उपयोगिता को देखते हुए किया था। आज जब एक प्रभुत्व शाली दल की भूमिका कम हो गई है तथा संविद सरकारों का दौर ~~समाप्त~~ आरंभ हो चुका है, राज्य सभा को अपनी शक्ति के उपयोग का अवसर ज्यादा मिल रहा है। राज्य सभा लोकसभा तथा सरकार के लिए एक मजबूत अवरोधक के रूप में खड़ी है। इसे लोकतंत्र के लिए खतरा के रूप में नहीं बल्कि उपयोगिता के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर राजनीतिक दल अपने दल के योग्य लोगों को राज्य सभा भेजें तथा मनोनयन के द्वारा विद्वान और समाज के विचारवान लोगों को राज्य सभा में स्थान दिया जाए, तो राज्य सभा और भी उपयोगी, प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण सदन सिद्ध हो सकती है।

—